

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

मिसल संख्या :- 206 / 2021


—: आदेश :—

दिनांक :- 12/10/2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	श्रीसरफपुरा	2075-78	92	मालाराम पुत्र सण्डु	मालाराम पुत्र सण्डु

नोट :- शेष पृविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि सबत भूमि सब हो तो सब मुक्त होवे के उपरान्त निर्णय की जावेगी।

  
 (उपेन्द्र सिंह)  
 उपखण्ड अधिकारी  
 खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

क्रमांक :- राजस्व / 2021 / 69

दिनांक :- 12/10/2021

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया तमीनेह पुत्र मालाराम जाति मेधवाल निवासी श्री सरफपुरा को सूचनार्थ।

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)